राजस्व विविध 2015/000118 अनवान बाबूलाल बनाम शिवलाल वगैरह अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
28/08/24	1. पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री राजेन्द्र गौतम उपस्थित। वकील अप्रार्थी सुरेश कुमार मेहरा उपस्थित। वकील प्रार्थी यानी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्रार्थना पत्र का जवाब अप्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत नही करने से उभयपक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रस्तुत संशोधित प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी को 0.08 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी राजू से प्राप्त हो चुकी है। जिससे प्रार्थी अब 1.60 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी पाने का अधिकारी रहता है। संशोधित प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा यह वर्णित किया गया है कि मूल आवंटन पका पुत्र गमानजी के वारिसान द्वारा प्रार्थी के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड हकतर्क विलेख के द्वारा अपने हको का त्याग करने से पका पुत्र गमना को नियमनसुदा का एक मात्र वारिस प्रार्थी बाबूलाल रहने से संशोधन को स्वीकार करते हए मूल वाद के निर्णय तक वाद ग्रस्त भूमि ग्राम रानीकलां तहसील रानी के खसरा नम्बर 870 रकबा 1.60 हैक्टेयर प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित भू-भाग के संबंध में अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की दलील दी। 2. इसके विपरित वकील अप्रार्थी द्वारा दलील दी गई की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 870 रकबा 1.69 हैक्टेयर अप्रार्थी का खरीदसुदा व कब्जाशुदा भूमि है जिस पर अप्रार्थी का ही कब्जा काश्त है। इसलिये प्रार्थी के कब्जे में अप्रार्थी द्वारा दखलअन्दाजी किया जाना सर्वथा गलत होने से टी.आई प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। 3. पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व उभयपक्ष वकुलाय की बहस पर मनन एवम् विधि द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत् स्थापित तीनो बिन्दुओ यथा प्रथमदृष्टया मामला,सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओ पर हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 12.08.2016 को पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नही है। तथा ग्राम रानीकला के हाल खसरा नम्बर 870 रकबा 1.60 हैक्टेयर के रेकर्ड व मौके की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक कायम रखे जाने की अस्थाई निशेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष व अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलेक्टर (S.D.O.) रानी	

न्यायालय सहायक कलेक्टर (SDO) रानी